न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 202 निर्णय दिनांक :–20.09.19

पारस कुमार श्री अर्जुनलाल जाति महाजन उम्र 54 वर्ष निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

– वादी –

बनाम

तहसीदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा तहसीलदार देवली
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आ.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की क्रयशुदा खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खं. नं. 405 खसरा नं. 1999/1280 रकबा 0.28 है0, वाके तनग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान मे स्थित है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि पर क्रय के समय से काबिज है और काश्तकारी करके –उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि की दक्षिण दिशा राजकीय सिवायचक भूमि खं. नं. 1276 व उसके बाद बीसलपुर पुनर्वास कॉलोनी तक डामरीकृत सडक हैं । उक्त राजकीय सिवायचक भूमि से होकर प्रार्थी अपनी उक्त भूमि मे आता–जाता रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। लेकिन विधिवत् रूप से रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पडता है एवं उतर दिशा मे प्लाट कटे हुए है। इस कारण प्रार्थी को उक्त भूमि मे से रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को की आराजायीयात माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायायलय को प्राप्त प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश हैं।प्रार्थीगण को रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने–जाने उपयोग–उपभोग करने हेतु उक्त राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं. 1276 मे से 30 फिट चौडा रास्ता मे

से नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरवामावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरवामावें।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई। तहसीलदार दूनी द्वारा पेश जवाब व रिपोर्ट क्रमांक 957 दिनांक 25.06.19 के अनुसार प्रार्थी की आराजी ख. नं. 1799/1280, जो प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई तथा लम्बाई 15 X 9 = 135 यानि कुल 135 वर्ग मीटर होगी। उक्त भूमि की डीएलसी दर 2870010/– रूप्ये होती है जिसकी प्रतिकर राशि 77490/– जमा योग्य है। आवेदित भूमि एन. एच–12 से 250 मीटर दूरी पर है। प्रार्थी ख. नं. 1276 रकबा 3.98 है0 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक है, में से रास्ता चाहता है जिसको नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई दीवार, पेड़ संरचना नहीं है। मौका रिपोर्ट , मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। तहसीलदार दूनी के अन्य पत्रांक 1058 दिनांक 08.07.19 के अनुसार खसरा नम्बर 1276 मे डामरीकरण सड़क बनी हुई है, जो कोलोनी बीसलपुर कॉलोनी व आस पास के खेतो में आने जाने के काम में अता है, लेकिन रिकॉर्ड में रस्ता बना हुआ नहीं है। यह रास्ता लगभग 40 वर्षो से डामरीकरण सड़क के रूप मे बना हुआ है। मौके पर उक्त ख. नं. को कोलोनी वासी एवं खातेदारान रास्ते के रूप मतें उपयोग में लेते आ रहे है। मौके वर सड़क ख. नं. 1276 व 1212 में स्थित है, जिसमें ख. नं. 1212 किस्म गै0 मु0 नाला है लेकिन मौके पर नाला बना हुआ नहीं है। सड़क ख. नं. 1276 में 180 X 9 व ख. नं. 1212 में 80 X 9 यानि कुल क्षैत्रफल 2340 वर्ग मीटर है जो दूनी–सरोली रोड़ से बीसलपुर कॉलोनी (वाटर पम्प तक है) भू. अभिलेख निरीक्षक एव पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट संलग्न है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए बताया कि तहसीलदार की रिपोट अनुसार रास्ता दिया जावे ।

तहसीलदार दूनी ने अपनी अपनी बहस में बताया कि ख. नं. 1212 किस्म गै. मु. नाला है, यद्यपि मौके पर नाला नहीं है परन्तु जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। अतः इस खसरा नम्बर की स्थिति में कोई परिवर्तन नही करना सरकार का दायित्व है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी की आराजी ख. नं. 1799/1280, में जाने हेतु ख. नं. 1276 में से रास्ता चाहता है जो कि राजस्व रिकॉर्ड मे सिवायचक भूमि है और इसी पर डामरीकृत सड़क बनी हुई है। अर्थात प्रार्थी अपनी आराजी में कृषि कार्य हेतु आराम से आ जा सकता है। अतः प्रार्थी की भूमि और मुख्य सड़क के बीच डामरीकृत सड़क व सिवायचक भूमि होने से वैकल्पिकर रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमक हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली